भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3205
दिनांक 09 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अस्पतालों में कमियां

3205. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत सरकार ने राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में कार्यरत सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं/अस्पतालों में रोगियों की संख्या की तुलना में सुविधाओं एवं संसाधनों की कमी के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें सरकार के ध्यान में लाई गई कमियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे सर्वेक्षण/अध्ययन में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (आरएचएस) एक वार्षिक प्रकाशन है जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित स्वास्थ्य परिचर्या प्रशासनिक आंकड़ों पर आधारित है। ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2022 के अनुसार, 1जुलाई, 2022 को जनसंख्या मानदंडों के आधार पर राजस्थान सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की कमी इस प्रकार है:

(सं. इकाईयों में)

स्वास्थ्य अवसंरचना	आवश्यक	उपस्थित	कमी*
उप-केंद्र	1,93,310	1,57,935	48,060
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	31,640	24,935	9,742
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	7,894	5,480	2,852

*अखिल भारतीय कमी का आकलन कुछ राज्यों में मौजूदा अधिशेष की उपेक्षा करते हुए कमी के राज्यवार आंकड़ों को जोड़कर किया जाता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वास्थ्य मानव संसाधन (विशेषज्ञ डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं) की भर्ती के लिए सहायता सहित तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रदान करती है।

इसके अलावा, पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) और पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास को भी समर्थन दिया जाता है। पंद्रहवे वित्त आयोग के तहत, वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 के लिए भवन-रहित उप-स्वास्थ्य केंद्र की कुल 12,606 इकाइयों, भवन-रहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की 881 इकाइयों और भवन-रहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की 125 इकाइयों का प्रावधान किया गया है।

पीएम-एबीएचआईएम के तहत, वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 की योजना अवधि के दौरान 730 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल), 3382 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू), 602 क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) और भवन-रहित उप-स्वास्थ्य केंद्र-आयुष्मान आरोग्य मंदिर की 7,808 इकाइयों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण का प्रावधान किया गया है।

*****